।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 05.06.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति.महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर.मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 205 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में से 205 प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया गया जिसमें 02 न्यायालय प्रकरणों पर पृथक से निर्णय लिये जाने पर शेष 203 प्रकरणों पर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (छ) की शर्ते पूर्ण करने पर नियम 4 (ख)(ग) के तहत पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण :-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	हरिसिंह पुत्र मोतीसिंह बावरी	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा की जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर

2.	बलराम पुत्र लालचन्द	के.का. श्रीगंगानगर		–
3.	सुनिल पूनिया पुत्र धनपत जाट	के.का.अजमेर		–
4.	मुरलीधर पुत्र जगन्नाथ मीणा	के.का.कोटा		–
5.	जसवन्त कुमार पुत्र श्योकरण	के.का. श्रीगंगानगर		–
6.	महेश पुत्र मिठ्ठनलाल	के.का.भरतपुर		–
7.	सलीम उर्फ काना पुत्र बदाउदीन	के.का.अजमेर		–
8.	रामू पुत्र सुआलाल	के.का.भरतपुर		–
9.	जयकरण उर्फ पुत्र मालाराम	के.का.बीकानेर		–
10.	घनश्याम पुत्र मालेराम	के.का.अलवर		–
11.	रामनिवास पुत्र हाकमराम	के.का. श्रीगंगानगर		–
12.	मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल गर्ग	के.का.उदयपुर		–
13.	हंसराज पुत्र गेहरीलाल	के.का.उदयपुर		–
14.	करणसिंह पुत्र नवल सिंह	के.का.अजमेर		–
15.	राजु उर्फ राजुराम पुत्र छगनाराम	के.का.बीकानेर		–
16.	पन्नालाल पुत्र आईदानराम	के.का.अजमेर		–
17.	रामबाबू शर्मा पुत्र धन्नालाल	के.का.जयपुर		–
18.	रमण पुत्र भूरा	के.का.उदयपुर		–
19.	खेमराज पुत्र लिम्बाजी	के.का.उदयपुर		–
20.	जयसिहं उर्फ रेशू पुत्र ब्रह्मानन्द मीणा	के.का.कोटा		–
21.	सुभाष पुत्र देवीलाल	के.का. श्रीगंगानगर		–
22.	राकेश सैनी पुत्र हनुमान सहाय	के.का.जयपुर		–
23.	विरेन्द्र उर्फ मोन्टी पुत्र रामवीर	के.का.अलवर		–
24.	अमनदीप पुत्र कुलदीप	के.का.बीकानेर		–

25.	विनोद कुमार पुत्र ठाकरराम	के.का.बीकानेर	–
26.	लिच्छुराम पुत्र डुंगरराम	के.का.बीकानेर	–
27.	अशोक कुमार पुत्र बृजलाल	के.का.बीकानेर	–
28.	मानसिंह पुत्र विशनसिंह	के.का.जोधपुर	–
29.	धर्मसिंह पुत्र सेडूराम	वि.के.का. श्यालावास	–
30.	कमलसिंह पुत्र नारायण	वि.के.का. श्यालावास	–
31.	देवीलाल पुत्र नेतिया	के.का.उदयपुर	–
32.	महेन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्र पुत्र बनेसिंह	के.का.अलवर	–
33.	धर्मराज पुत्र बजरंगलाल मीणा	के.का.कोटा	–
34.	सुखाराम पुत्र चतराराम	के.का.बीकानेर	–
35.	कुरीचन्द उर्फ करण पुत्र रमेशचन्द्र पाटीदार	के.का.उदयपुर	परिजनों द्वारा देख-रेख एवं भरण पोषण का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
36.	ओमभजन उर्फ बादल पुत्र राधेश्याम	के.का.कोटा	–
37.	रामेश्वरलाल पुत्र हरीराम	के.का.बीकानेर	–
38.	कालुलाल मोग्या पुत्र उदा मोग्या	के.का.उदयपुर	–
39.	सुनील पुत्र हीरालाल	के.का.जोधपुर	–
40.	हरजेन्द्र सिहं पुत्र चरण सिहं	के.का.कोटा	–
41.	मंगलचन्द पुत्र श्रीराम	के.का.बीकानेर	–
42.	पवन उर्फ पवना पुत्र परथा कपाया गमेती	के.का.उदयपुर	परिजनों द्वारा देख-रेख एवं भरण पोषण का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
43.	मनोज पुत्र बिटटु राम	के.का.बीकानेर	–
44.	बाबु खां पुत्र लाले खां	के.का.जोधपुर	–
45.	रतनलाल पुत्र लालचंद	के.का.अलवर	–
46.	राजेश पुत्र रामस्वरूप	जि.का.टोंक	–
47.	कन्हैयालाल उर्फ काना उर्फ वरदीचन्द पुत्र भंवरलाल रावत	के.का.उदयपुर	

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (क)(ज)(ड़) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होगें, का प्रावधान है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में बंदियों द्वारा दायर एस.बी./डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज दिनांक 17.01.2025 में दिये गये आदेशों की पालना में संबंधित दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	विशाल यादव पुत्र छोटूसिंह यादव	के.का.अलवर	-
2.	रमेश पुत्र नेमीचंद	के.का.अलवर	-
3.	मनोज पुत्र छगनाराम	के.का.बीकानेर	-
4.	मैनपाल उर्फ शूटर पुत्र दलीप	के.का.बीकानेर	-
5.	जोगाराम पुत्र देराजराम	के.का.जोधपुर	-
6.	रावलसिह पुत्र किशोर सिंह	के.का.जोधपुर	-
7.	कानीया उर्फ कानाराम पुत्र नानीया उर्फ नानाराम	के.का.उदयपुर	-
8.	रामचन्द्र उर्फ चन्द्र पुत्र रणजीतराम	के.का.श्रीगंगानगर	-
9.	रमेश पुत्र शीशपाल	के.का.बीकानेर	-
10.	अरबाज पुत्र अनवर खान	के.का.उदयपुर	-
11.	जगदीप उर्फ धनकड़ पुत्र शीशपाल	के.का.जयपुर	-
12.	प्रवीण बैरागी पुत्र श्यामलाल	के.का.कोटा	-
13.	धारासिंह पुत्र शिवसिंह	जि.का.टोंक	-
14.	प्रवीण उर्फ प्रिंस पुत्र जसपाल सिंह	के.का.उदयपुर	-
15.	भालाराम उर्फ बलवीर	के.का.बीकानेर	-

	पुत्र कानाराम		
16.	नक्षत्रमल उर्फ नख्तर पुत्र नन्दा मोग्या	के.का.उदयपुर	परिजनों द्वारा देख-रेख एवं भरण पोषण का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

2. अस्वीकृत/अग्रेषित प्रकरणों का विवरणः-

वरियता में होने पर भी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार (02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं), आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने/अग्रेषित का निर्णय लिया गयाः-

(अ) अस्वीकृत प्रकरणः-

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	सत्तार पुत्र बाबू खां	के.का.कोटा	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) एवं दिनांक 12.04.2025 को विचाराधीन प्रकरण में बंदी खुला शिविर से जेल दाखिल।
2.	महावीर प्रसाद पुत्र मातादीन	के.का.जयपुर	दिनांक 18.09.2024 से 01.04.2025 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा।
3.	मोहनलाल पुत्र मदनदास	के.का.जयपुर	दिनांक 16.04.2025 से 29.04.2025 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा।
4.	सद्दाम शेख पुत्र सिकन्दर शेख	के.का.जयपुर	दिनांक 16.04.2025 से 29.04.2025 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा।
5.	मुकेश कुमार उर्फ बबलू पुत्र दीनदयाल	के.का.अलवर	दिनांक 01.03.2025 से 05.03.2025 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा।
6.	रामभरोसी उर्फ पटेल पुत्र भगवती प्रसाद	के.का.जयपुर	दिनांक 06.04.2025 को बंदी खुला शिविर में कदाचार के कारण जेल दाखिल होने के कारण।
7.	शहजाद उर्फ शाजिद पुत्र सलीम	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत

			जीवनकाल) से दण्डित।
8.	रामकिशन उर्फ गोलिया पुत्र बनवारी	के.का.जयपुर	दिनांक 06.04.2025 को बंदी खुला शिविर में कदाचार के कारण जेल दाखिल होने के कारण।
9.	सतीश कुमार उर्फ सेडुराम पुत्र प्रभूदयाल दत्तक पुत्र श्री समर्थलाल	के.का.अलवर	दिनांक 01.03.2025 से 05.03.2025 तक खुला बन्दी शिविर से फरारशुदा।
10.	जितेन्द्र मीणा उर्फ जीतू पुत्र स्व. रामलाल मीणा	के.का.जयपुर	दिनांक 28.03.2025 को कदाचार के कारण बंदी खुला शिविर से जेल दाखिल होने के कारण।
11.	बल्लो उर्फ कुल्ली पुत्र हरीचंद	जि.का.धौलपुर	प्रतिबंधित धारा 395,396 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
12.	मंगला पुत्र ग्याजी उर्फ केश	जि.का.धौलपुर	प्रतिबंधित धारा 395,396 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	बंशीलाल पुत्र भग्गा कालबेलिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394/120बी आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
14.	शांतिलाल पुत्र भमरू उर्फ भंवरलाल कालबेलिया	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 394/120बी आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
15.	जगदीश पुत्र रामस्वरूप	जि.का. धौलपुर	प्रतिबंधित धारा 395,396 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
16.	अनेक सिहं उर्फ अनिल पुत्र रतन सिहं	के.का.कोटा	दिनांक 12.07.2024 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।
17.	नंदलाल पुत्र रामकुमार	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
18.	रामसिंह पुत्र मातादीन कुशवाह	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
19.	काशीराम उर्फ खुशीराम पुत्र रामकिशन	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
20.	सुभाष पुत्र लालाराम	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से

			दण्डित।
21.	फूलचंद पुत्र बालकिशन नाई	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
22.	लक्ष्मण पुत्र रणछोड़ ननोमा	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
23.	बलराम पुत्र मिश्रीलाल गुर्जर	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
24.	धर्मराज उर्फ गोलू पुत्र सीताराम	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
25.	नफीस उर्फ बंटी पुत्र अब्दुल हफीज	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
26.	शंकरलाल माली पुत्र पन्नालाल	के.का.उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) होने के कारण।
27.	रियाजुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) से दण्डित।
28.	सुरेश पुत्र खातू जी	के.का.अजमेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) एवं पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
29.	सुमन मीणा उर्फ मोतीशंकर पुत्र दुर्गालाल	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
30.	वेणीराम पुत्र मांगीलाल सुथार	के.का.उदयपुर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
31.	जगदीश पुत्र केशरीलाल	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
32.	धन्या उर्फ धनराज उर्फ दिनेश पुत्र देवीलाल	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
33.	मनीराम पुत्र हरलाल	उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन होने के कारण।
34.	रिंकू चौधरी उर्फ बलि पुत्र घासीलाल	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
35.	अल्ताफ खां पुत्र वली मोहम्मद	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर

			कारावास से दण्डित।
36.	कालु सिंह उर्फ सचगोपालसिंह उर्फ गोपाल सिंह पुत्र जयसिंह	जि.का.टोंक	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
37.	पवन पुत्र सुखलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
38.	बंटी नागर पुत्र रामस्वरूप	के.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
39.	जितेन्द्र फुलवानी उर्फ जीतु पुत्र भगवान दास	के.का.जयपुर	02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
40.	लोकेश पुत्र रामनारायण	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
41.	ख्यालीलाल उर्फ टीनू पुत्र मोतीलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं दिनांक 18.08.2024 को जेल दण्ड से दण्डित।
42.	बृजेश कोली उर्फ मालिक पुत्र श्यामलाल	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
43.	अशोक पुत्र रामदेवा	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 395,376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
44.	बनवारी पुत्र ठाकरराम	वि.के.का. श्यालावास	05 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)।
45.	चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
46.	दशरथ सिहं पुत्र गब सिहं	के.का.कोटा	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
47.	मंजीत पुत्र रामफल	के.का.बीकानेर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)।
48.	जयपालसिंह उर्फ कालू उर्फ कुलदीप पुत्र मोहनसिंह	के.का.बीकानेर	पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
49.	रामलाल पुत्र घीसाराम	के.का.उदयपुर	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
50.	सहदेव पुत्र भरतरी	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 395,376 आईपीसी

	कंजर		में आजीवन कारावास से दण्डित।
51.	कृष्णा हरिजन पुत्र घनश्याम बारेसा	के.का.उदयपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)।
52.	विष्णु पुत्र भैरूलाल	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास (अंतिम श्वास तक) से दण्डित।
53.	मस्तराम उर्फ सल्लू पुत्र प्रभुलाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
54.	बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
55.	रामकुंवार पुत्र लल्लूराम	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
56.	सुरेश जाट पुत्र लालाराम	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
57.	नारायण पुत्र काना गुर्जर	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
58.	कृष्ण पुत्र हीरालाल	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
59.	किशनलाल पुत्र रामनाथ भील	के.का.कोटा	पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
60.	राजेश कुमार मीणा पुत्र जयनारायण	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
61.	सुनील लोट उर्फ बन्टी लोट पुत्र स्व. शम्भुलाल लोट	जि.का.टोंक	07 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (06 में जमानत नही)।
62.	मोनू साहु पुत्र राधाकिशन	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
63.	इदरिश पुत्र जोरू खा	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
64.	कमलेश पुत्र मोहनलाल उर्फ मोगजी पाटीदार	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
65.	दिनेश भील पुत्र श्यामलाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
66.	सिराज अहमद पुत्र	उच्च सुरक्षा	05 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।

	रियाज अहमद	कारागृह अजमेर	
67.	सुनील पुत्र मदनलाल	वि.के.का. श्यालावास	पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
68.	डालु पुत्र मेघराज	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित।
69.	अजय चौधरी पुत्र रामकुमार	उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर	दिनांक 26.12.2023 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।
70.	कालू पुत्र बापूलाल मेघवाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
71.	छोटेलाल पुत्र सोहनलाल	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
72.	राधेश्याम उर्फ राधे पुत्र छोटूराम	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
73.	नरेश पुत्र अमरा कलासुआ	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
74.	कालू उर्फ शरीफ पुत्र शबूर	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
75.	गौरव उर्फ भानू पुत्र रणवीर उर्फ रणधीर	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
76.	सुरजीत सिंह पुत्र रेशम सिंह	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
77.	पप्पू यादव उर्फ रामकुवांर पुत्र प्रभात	के.का.अलवर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
78.	महेश पुत्र रोहिताश	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
79.	रमेश कुमार पुत्र बाबुलाल	के.का.जोधपुर	05 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
80.	विक्रम कुमार उर्फ पूर्बिया गाडरी पुत्र रामलाल	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
81.	गोपीराम पुत्र भादरराम	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
82.	सुरेन्द्र पुत्र शमशेर	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने

	सिहं		के कारण।
83.	योगेश पुत्र जयनारायण	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
84.	मुकनाराम पुत्र किशनाराम	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
85.	तेंजसिंह पुत्र जवानसिंह	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
86.	भूरीलाल पुत्र लालूराम मीणा	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
87.	लखन सिंह पुत्र बच्चू सिंह	के.का.अलवर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
88.	धनराज पुत्र सोहनलाल	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
89.	मनोज पुत्र प्रेमचन्द	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
90.	मनोज लखारा पुत्र रामकरण	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
91.	कमलसिंह पुत्र रामरतन	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
92.	वीरमसिंह पुत्र गोवर्धनसिंह	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
93.	वीरेश पुत्र श्रीपाल	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
94.	बजरंगलाल पुत्र धनाराम	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
95.	दीपक पुत्र नाथूलाल	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
96.	कमलेश पुत्र ईश्वरलाल	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
97.	मिथुन उर्फ चुन्नी पुत्र खेमचंद	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 377 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
98.	पप्पुलाल पुत्र कचरू	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
99.	निरंजन उर्फ गधा पुत्र लल्लूराम	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

100.	विरेन्द्र उर्फ बिन्दी पुत्र उदय सिह	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
101.	गोपाललाल पुत्र हेमा	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
102.	श्यामलाल पुत्र मथरालाल	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
103.	रईस उर्फ अयुब खां पुत्र मुनीर अहमद	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
104.	विकास उर्फ भरत्या पुत्र कन्हैया लाल	के.का.अलवर	03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)।
105.	कबूल उर्फ मालक खां पुत्र मलूक खां	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
106.	अजय उर्फ नरेन्द्र पुत्र विश्राम	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 377 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
107.	विष्णु कुमार पुत्र धर्मपाल	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
108.	अजय कुमार पुत्र साहिबसिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
109.	मुकेश पुत्र रमेश	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
110.	राजवीर सिंह उर्फ अनिल पुत्र लालचंद	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
111.	रोहताश पुत्र वीर सिंह	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
112.	संजय कुमार उर्फ संजू पुत्र अर्जुनदास	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
113.	विपिन गुप्ता पुत्र पूनम चंद	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
114.	उम्मेदसिंह पुत्र कल्याण सिंह	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
115.	राजेश पुत्र रामगिरी	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
116.	रवि पुत्र अजीत	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

117.	दीपक उर्फ फर्जी पुत्र राजेन्द्र	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
118.	इब्रा उर्फ इबरान पुत्र ममरेज	के.का.अलवर	02 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही) एवं प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
119.	प्रवीण उर्फ शालु पुत्र राजेश	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
120.	रामस्वरूप पुत्र सरदारसिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 395,397 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
121.	इन्दरपाल पुत्र प्रतापसिंह	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण।
122.	परवेज उर्फ नासिर पुत्र सावंत उर्फ शाह मौहम्मद	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 394 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
123.	रिन्कु उर्फ बाढिया पुत्र मोहनलाल मीणा	के.का.उदयपुर	17 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन।
124.	अनवर उर्फ अन्नू पुत्र नूरदीन	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
125.	किशोर बाबुलाल पुत्र लक्ष्मणलाल अहारी	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
126.	दिनेश उर्फ हवलदार पुत्र गोकुलराम	के.का.बीकानेर	पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
127.	मोनू पुत्र नरेश उर्फ कल्लू रेगर	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
128.	सुनिल कुमार पुत्र भोलाराम	के.का.बीकानेर	पोक्सो एक्ट मे 07 वषे कठोर कारावास से दण्डित।
129.	राजू पुत्र मौहम्ममद दिलावर	के.का.अलवर	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नही)।
130.	मेघराज उर्फ कालू उर्फ मेघू उर्फ डाकू पुत्र कजोड	जि.का.टोंक	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नही)।
131.	आसिफ पुत्र सुलतान	के.का.बीकानेर	पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
132.	नेतराम पुत्र वासुदेव	के.का.जोधपुर	पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

133.	लक्ष्मणराम पुत्र गीगाराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
134.	कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र भंवरलाल जाटव	के.का.कोटा	दिनांक 23.04.2025 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण।
135.	विनोद मित्तल पुत्र दिनेश मित्तल	के.का.अलवर	पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
136.	लेहराराम पुत्र करनाराम	के.का.जोधपुर	पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
137.	मदन पुत्र हकरा गमेती	के.का.उदयपुर	पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
138.	सुरमाराम पुत्र भुताराम	के.का.जोधपुर	06 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (04 में जमानत नही)।

(ब) अग्रेषित प्रकरण:-

समिति द्वारा गत दो वर्षो में बंदी द्वारा नियमित पैरोल भुगती गई अथवा नहीं? नहीं भुगते जाने का कारण स्पष्ट होने एवं गत दो वर्षो में आचरण/जेल सेवा में चाल-चलन की टिप्पणी संबंधित जेल अधीक्षक से प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र.सं.	बंदी	वर्तमान कारागृह	अग्रेषित का कारण
1.	जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र प्रताप	के.का.अलवर	बंदी के द्वारा किये गये कदाचार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं बंदी को किस धारा में जेल दाखिल किया एवं एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त होने पर
2.	गुड्डू पुत्र ताहर सिंह	के.का.जयपुर	पुलिस थाना मुहाना द्वारा धारा 126, 170 बी0ए0एस0 के तहत् दिनांक 21.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया, के संबंध में घटना का विवरण प्राप्त होने पर

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 05.06.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में 04 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये, जिसमें से 01 प्रकरण को समिति द्वारा अप्रवंदित किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
अशफाक खान पुत्र अब्दुल अजीज	के.का.जयपुर	241/2025	22.05.2025	27.05.2025

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी अशफाक खान पुत्र अब्दुल अजीज, केन्द्रीय कारागृह जयपुर :-

बंदी को श्रीमान् जज डेजिगनेटेड कोर्ट फॉर अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/1994 अंतर्गत धारा 120बी,3(2)(i),3(3) टाडा एक्ट, 302/120बी आई.पी.सी.

150 रेलवे एक्ट 120बी, 3(2)(ii)/120बी,5 टाडा एक्ट, 307,9बी Explosives Act, 326,324,436 आई.पी.सी. में दिनांक 28.02.2004 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक 30 वर्ष 09 माह 02 की सजा मय परिहार मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 241/2025 अशफाक बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 22.05.2025 से निर्णय पारित किया है कि Since the limited prayer made by counsel for the petitioner is with regard to a direction to the appropriate authority to decide his pending application for his transfer to Open Air Camp, we therefore, deem it proper to dispose of present Criminal Writ Petition (Parole).Criminal Writ Petition (Parole) is accordingly disposed. The appropriate authority is directed to decide the application of the petitioner seeking transfer from Central Jail, Jaipur to Open Air Camp, Sanganer Jaipur within a month from the date of receipt of certified copy of this order, in accordance with law.

समिति के प्रकाश में आया कि बंदी को टाडा एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित होने को दृष्टिगत रखते हुए अधीक्षक जेल द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(ख) के तहत प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(ख) में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी अशफाक खान पुत्र अब्दुल अजीज** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 05.06.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री रूपिन्दर सिंघ, अति.महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में 04 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये, जिसमें से 03 प्रकरणों को समिति द्वारा प्रवंदित किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
विनोद कुमार गौरा पुत्र श्रवण कुमार	के.का.जयपुर	443/2025	15.05.2025	19.05.2025
शकील खान पुत्र अब्दुल हफीज शाह	के.का.जयपुर	309/2025	05.03.2025	22.05.2025
प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ पुत्री अशोक सेठ	म.बं.सु.जयपुर	590/2025	30.05.2025	04.06.2025

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी विनोद कुमार गौरा पुत्र श्रवण कुमार, केन्द्रीय कारागृह,जयपुर :-

बंदी को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम-4, जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 21/2019 अंतर्गत धारा 302,120बी,450/120बी आई.पी.सी., 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 29.10.2024 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। इसके द्वारा दिनांक 30.04.2025 तक 06 वर्ष 10 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 443/2025 विनोद बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 15.05.2025 से निर्णय पारित किया है कि ''प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा चाही गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह की अवधि में, याची-बंदी द्वारा खुला शिविर में स्थानांतरण करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2025 पर संबंधित नियमों के तहत विचार कर प्रार्थना पत्र को निस्तारित करें एवं प्रार्थना पत्र के निस्तारण की सूचना से बंदी को अवगत कराया जाए। उक्त आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक को सक्षम अधिकारी को भेजे जाने हेतु प्रदान की जावे तथा विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति अविलम्ब सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें। तद्नुसार रिट याचिका व विविध प्रार्थना पत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किये जाते है।''

जेल अधीक्षक जेल की टिप्पणी में बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है एवं बंदी को बंदी खुला शिविर में स्थानान्तरण करने की प्रवंदना की है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी विनोद कुमार गौरा पुत्र श्रवण कुमार** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2.दण्डित बंदी शकील खान पुत्र अब्दुल हफीज शाह, केन्द्रीय कारागृह, जयपुरः-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04 जयपुर जिला जयपुर द्वारा द्वारा प्रकरण संख्या 65/2019 अंतर्गत धारा 302,307 आई.पी.सी.,4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 08.09.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। इसके द्वारा दिनांक 30.04.2025 तक 06 वर्ष 11 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 309/2025 शकील बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 05.03.2025 से निर्णय पारित किया है कि "Looking to the facts & circumstances of case & considering the submissions made at bar and keeping in view of the limited prayer, the present petition is disposed of, with the direction to the concerned authorities to decide the application filed by the petitioner for his transfer from the Central Jail, Jaipur to the Open Air Camp, Sanganer,Jaipur, within a period of one month from the date of receipt of certified copy of this order in accordance with law."

जेल अधीक्षक जेल की टिप्पणी में बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है एवं बंदी को बंदी खुला शिविर में स्थानान्तरण करने की प्रवंदना की है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी शकील खान पुत्र अब्दुल हफीज शाह** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित महिला बंदी प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ पुत्री अशोक सेठ, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुरः-

बंदी को सेशन न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर द्वारा द्वारा प्रकरण संख्या 26/2023(396/2018)(एन.वी.सी.नं. 62/19) अंतर्गत धारा 342,302,201,120 बी आई.पी.सी. में दिनांक 24.11.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.04.2025 तक 07 वर्ष 03 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। बंदी के विरूद्ध 03 अन्य प्रकरण विचाराधीन जिनमे जमानत पर है।

महिला बंदी द्वारा कारागृह में बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 590/2025 प्रिया बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 30.05.2025 से निर्णय पारित किया है कि "प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा चाही गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् होने वाली आगामी बैठक में याची बंदी द्वारा खुला शिविर में स्थानांतरण करने बाबत् प्रस्तुत संदर्भित प्रार्थना पत्र संबंधित नियमों के तहत विचार कर प्रार्थना पत्र को निस्तारित करें एवं प्रार्थना पत्र के निस्तारण की सूचना से बंदी को अवगत कराया जाए। उक्त आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक को सक्षम अधिकारी/समिति को भेजे जाने हेतु प्रदान

की जावे तथा विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति अविलम्ब सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें। तदनुसार रिट याचिका व विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किये जाते हैं।'' अधीक्षक जेल की टिप्पणी में महिला बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया गया है एवं बंदी को बंदी खुला शिविर में स्थानान्तरण करने की प्रवंदना की है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित महिला बंदी प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ पुत्री अशोक सेठ** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।